

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, श्रीगंगानगरथाना :- प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :- 2022
प्र0सू0रि0 सं 307/2022 दिनांक 22.09.2022
2. (1) अधिनियम...भ्रष्टाचार निवारण अधि. 1988.....धाराएं..... धारा 13(1),(सी),(डी), 13(2)
(2) अधिनियम...भ्रष्टाचार निवारण अधि. संशोधन 2018 धारा 7 (सी), 13 (1), (ए) सपठित 13(2)
(3) अधिनियम.....भादंसं..... धाराएं409, 420, एवं 120 बी
3. (क) घटना का दिन :- दिनांक :- 01.04.2015 से 24.10.2018 तक..... समय :
- (ख) थाने पर प्राप्त सूचना प्राप्त होने की दिनांक :- समय :
- (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या 523 समय 7.05am
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई :- (लिखित/मौखिक) लिखित। परि.सं. 68/19 दिनांक 05.03.2019
5. घटनास्थल का ब्यौरा :-
(क) थाने से दिशा एवं दूरी - चौकी से दक्षिण दिशा पश्चिम-दक्षिण बफासला करीब 55 किलोमीटर ।
बीट संख्या.....जुरामदेही सं.....
(ख) पता :- ग्राम पंचायत गंगुवाला पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....जिला
6. शिकायतकर्ता/इतिला देने वाला :-
(क) नाम :- चिन्मयी गोपाल, आई.ए.एस.
(ख) पिता/पति का नाम :-
(ग) जन्म तिथि/उम्र :-
(घ) राष्ट्रियता - भारतीय
(ङ) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान.....
(च) व्यवसाय - आई.ए.एस.
(छ) पता :- तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद श्रीगंगानगर।
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :-
 1. श्री विनोद कुमार पुत्र श्री भागीरथ जाति नायक निवासी कुम्हारावाली पोस्ट आफिस गंगुवाला तह. रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत गंगुवाला पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
 2. श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री कृष्णलाल उम्र 33 वर्ष निवासी वीपीओ गंगुवाला जाटान तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर तत्कालीन (कनिष्ठ सहायक) तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
 3. अन्य अधिकारी/कर्मचारी।
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :- कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पत्ति की विशिष्टियां(यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें).....
आरोपीगणों द्वारा अवधि 01.04.2015 से 24.10.2018 के दौरान आपराधिक सहभागिता के तहत अपने-अपने पदों का दुरुपयोग करते हुये पंचायत समिति रायसिंहनगर अधीन ग्राम पंचायत गंगुवाला में विभिन्न बिल/बाउचर, मस्टरोल आदि का रोकड़ बही में बिना बाउचर भुगतान दर्शाना, सरपंच द्वारा अग्रिम राशि का उदरत रूप में भुगतान उठाकर गबन करना, वास्तविक मानदेय से अधिक राशि उठाकर गबन करना तथा ग्राम पंचायत में करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यों में मस्टरोल अपूर्ण होते हुये भी भुगतान उठाना आदि आरोप है।
10. चोरी हुई/लिखित सम्पत्ति का कुल मूल्य :-
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो).....
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु :-

महोदय,

निवेदन है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर के पत्र क्रमांक जिपग/पंचायत/2018-19/1222 दिनांक 22.10.2018 की अनुपालना में ग्राम पंचायत गंगुवाला पंचायत समिति रायसिंहनगर के मनरेगा व अन्य निर्माण कार्यों के रिकार्ड की समीक्षा किये जाने हेतु गठित जांच दल जिसमें श्री सुनील झोरड़ समन्वयक मनरेगा, श्री दलीप सिंह जाखड़ सहायक सांख्यिकी अधिकारी, विजय कुमार सहायक लेखाधिकारी, प्रेम सुन्दर अग्रवाल अधिशाषी अभियन्ता मनरेगा तथा अरविन्द सहारण सहायक अभियन्ता शामिल थे, के द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन की प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक 5872 दिनांक 24.12.2018 के द्वारा ग्राम पंचायत गंगुवाला पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर प्रवीण कुमार कनिष्ठ सहायक व अन्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच हेतु मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की अनुशंसा सहित ब्यूरो मुख्यालय में प्रेषित किया गया। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद श्रीगंगानगर द्वारा ग्राम पंचायत गंगुवाला के उक्त अभिलेखों की गठित जांच दल द्वारा समीक्षा कर प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में रिकार्ड/केशबुक/दस्तावेजों/मस्ट्रोल/बिल वाउचर्स एवं निर्माण कार्यों के मार्फत बड़े स्तर में फर्जीवाड़े के अन्तर्गत लगभग 36.67 लाख रुपये की वसूली/गबन किया जाना माना गया। इस शिकायत पर ब्यूरो मुख्यालय जयपुर से पत्र क्रमांक 2330-31 दिनांक 05.03.2019 से परिवाद संख्या 68/2019 दिनांक 05.03.2019 दर्ज होकर सत्यापन हेतु चौकी हाजा पर प्राप्त होने उपरान्त निर्देशानुसार परिवाद में मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सत्यापन किया गया।

सत्यापन के दौरान उक्त जांच कमेटी द्वारा ग्राम पंचायत गंगुवाला पंचायत समिति रायसिंहनगर के लेखों की जांच के संबंध में जारी समीक्षा रिपोर्ट/जांच रिपोर्ट दिनांक 05.11.2018 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गयी। जांच कमेटी द्वारा जारी जांच प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत गंगुवाला के रिकार्ड दिनांक 01.04.2015 से 24.10.2018 तक की समीक्षा का जांच रिपोर्ट में निम्नानुसार अनियमितताएँ एवं गबन कर भ्रष्टाचार किये जाने के आरोप वर्णित किये गये।

1. जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1(अ) के अनुसार जांच के दौरान पाये गये बिल/वाउचर/मस्ट्रोल आदि जिनका रोकड़ बही में नगद भुगतान होना दर्शाया गया है लेकिन वास्तव में नगद भुगतान व अन्य प्रकार की अनियमितता के कारण सम्बन्धित व्यक्ति को भुगतान किये जाने के प्रमाण स्वरूप बिल/वाउचर संलग्न नहीं किये गये अथवा संलग्न दस्तावेज भुगतान होने की पुष्टि नहीं करते हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र सं	वाउचर नं. दिनांक	मद/कार्य/फर्म का नाम	भुगतान राशि	नगद/चैक	रोक ड बही पृसं	वसूली राशि	वि०वि०
1	NA/01. 04.15	वास्ते फोटो स्टेट मिट्टी भर्ती कार्य	1616	नगद	1	1616	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
2	04/ 11. 04.2015	इन्टर लोकिंग सड़क बस स्टेण्ड कुम्हारवाली	25740	नगद	4	25740	मस्ट्रोल नं. 1375 उपलब्ध रिकॉर्ड में नहीं पाया गया।
3	05/ 11. 04.2015	गणेश आयरन को भुगतान जेजेवाई मोटर मरम्मत	19800	नगद	4	19800	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
4	07/ 17. 04.2015	बीकानेर मिष्ठान भण्डार	13300	नगद	6	13300	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
5	08ए/ 17.04. 2015	बीकानेर मिष्ठान भण्डार चाय नाश्ता	10000	नगद	6	10000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
6	10/ 18. 04.2015	डिग्गी की मुंडेरी का कार्य रामावाली	5238	नगद	7	5238	मस्ट्रोल नं. 780 उपलब्ध रिकॉर्ड में नहीं पाया गया।
7	11/ 18. 04.2015	निम्मा राम / बहादुर राम डिग्गी सफाई	12000	नगद	7	12000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान

							गबन की श्रेणी में आता है।
8	12/ 23. 04.2015	वाटरवर्क्स चारदिवारी दक्षिण दिशा 59आरबी	65312	नगद	8	65312	मस्ट्रोल नं. 651- 652 कार्य की उपलब्ध पत्रावली के रिकॉर्ड में नहीं पाया गये।
9	13/ 23. 04.2015	खड़वंजा निर्माण पंचायत घर से चौक तक	25272	नगद	8	25272	मस्ट्रोल नं. 2991 उपलब्ध रिकॉर्ड में नहीं पाया गया, पंस रायसिंहनगर का समायोजन आदेश संख्या 11341-45 दि-30.11.15 द्वारा जारी इसके मुताबिक गोश्वारे में भी उक्त मस्टर रोल अंकित है।
10	14/ 23. 04.2015	खड़वंजा निर्माण पंचायत घर से चौक तक	8300	नगद	8	8300	मस्ट्रोल नं. 2992 उपलब्ध रिकॉर्ड में नहीं पाया गया, पंस रायसिंहनगर का समायोजन आदेश संख्या 11341-45 दि-30.11.15 द्वारा जारी इसके मुताबिक गोश्वारे में भी उक्त मस्टर रोल अंकित है।
11	24ए/ 30.04. 2015	खड़वंजा निर्माण नत्थूराम के घर से चरणदास के घर तक	14000	नगद	12	14000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
12	25/ 30. 04.2015	खड़वंजा निर्माण 59आरबी	17010	नगद	12	17010	मस्ट्रोल नं. 555 उपलब्ध रिकॉर्ड में नहीं पाया गया।
13	26/ 30. 04.2015	बालाजी टैंट हाउस को भुगतान	23000	नगद	12	23000	ग्राम सभा मय गणतंत्रता दिवस पर चाय नाश्ता आदि हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर इतना व्यय नियमानुकूल नहीं है।
14	29/ 07. 05.2015	जसपाल सिंह मिस्त्री	19380	नगद	14	19380	मोटर वाईडिंग हेतु पीएचईडी के तकनीकी अधिकारी द्वारा रिपेयरिंग हेतु मोटर पर व्यय राशि कार्य से पूर्व अनुमति एवं कार्य के पश्चात् भुगतान प्रमाणित होनी आवश्यक है।
15	32/ 15. 05.2015	स्टेडियम चारदिवारी	36348	नगद	17	36348	मस्ट्रोल नं. 1726 उपलब्ध रिकॉर्ड में नहीं पाया गया।
16	33/ 15. 05.2015	स्टेडियम चारदिवारी	21580	नगद	17	21580	मस्ट्रोल नं. 1727 उपलब्ध रिकॉर्ड में नहीं पाया गया।
17	36/ 18. 05.2015	खड़वंजा सड़क निर्माण शिवजी डेरे तक	14692	नगद	18	14692	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।
18	36ए/ 18.05. 2015	सेठिया ब्रादर्स रायसिंहनगर	5000	नगद	18	5000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
19	49/ 04. 06.2015	स्टेडियम चारदिवारी	36348	नगद	22	36348	मस्ट्रोल नं. 1728 उपलब्ध रिकॉर्ड में नहीं पाया गया।
20	49/ 04. 06.15	स्टेडियम चारदिवारी	21280	नगद	22	21280	मस्ट्रोल नं. 1729 उपलब्ध रिकॉर्ड में नहीं पाया गया।
21	50/ 04. 06.2015	मिट्टी भर्ती खड़वंजा..... शिवजी के डेरे तक	10500	नगद	22	10500	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।
22	51/ 04.	विनोद कुमार/	29200	चैक	22	29200	कार्य की प्रशासनिक/

	06.2015	मनफुल को मिट्टी भर्ती कार्य रा.उ.प्रा. वि. 59आरबी हेतु भुगतान		संख्या 881255			तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।
23	52/04. 06.2015	विनोद कुमार/ मनफुल मिट्टी भर्ती कार्य उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु भुगतान	15600	चैक संख्या 881257	22	15600	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।
24	अंकित नहीं/06. 06.2015	भुगतान बाबत दुरुस्ती जनता जल योजना	10000	नगद	25	10000	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव एवं भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
25	अंकित नहीं/06. 06.2015	भुगतान बाबत मरम्मत एवं साफ सफाई पेयजल डिग्गी	10000	नगद	25	10000	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव एवं भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
26	61/06. 06.2015	चाय नाश्ता विशेष ग्राम सभा	10000	नगद	25	10000	ग्राम सभा में चाय नाश्ता आदि हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर इतना व्यय नियमानुकूल नहीं है
27	63/06. 06.2015	पुरुस्कार वितरण समारोह 26.01. 2016	10000	नगद	25	10000	नियमानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर यह भुगतान देय नहीं है।
28	67ए/06 .07.2015	गणेश आयरन स्टोर मोटर रिपेयर हेतु भुगतान	33000	चैक नम्बर 769826	28	33000	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है एवं मोटर रिपेयरिंग आदि कार्य हेतु पीएचईडी के तकनीकी अधिकारी द्वारा रिपेयरिंग हेतु मोटर पर व्यय राशि कार्य से पूर्व अनुमति एवं कार्य के पश्चात् भुगतान प्रमाणित होनी आवश्यक है।
29	70/06. 07.2015	दलीप कुमार/ रुड़ाराम को सरकारी भवनों में पानी फीटिंग हेतु भुगतान	50000	चैक नम्बर 769838	28	50000	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है एवं कार्य किस उद्देश्य के लिए किया गया है स्पष्ट नहीं है एवं सक्षम अधिकारी से स्वीकृति हेतु आवश्यक दस्तावेज सलग्न नहीं है।
30	73/21. 08.15	मिट्टी भर्ती राजकीय विद्यालय परिसर गंगूवाला में	15000	नगद	30	15000	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।
31	74/25. 08.15	चाय-नाश्ता विशेष ग्राम सभा	20000	नगद	31	20000	ग्राम सभा में चाय नाश्ता आदि हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर इतना व्यय नियमानुकूल नहीं है
32	76/31. 08.15	मिट्टी भर्ती रोड़ के दोनों तरफ	10000	नगद	32	10000	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।

33	77/03. 09.15	मिट्टी भर्ती मुख्य चौक से गंगूवाला	10000	नगद	32	10000	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/ वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।
34	81/08. 09.15	तावणियां मिष्ठान भण्डार	20000	नगद	33	20000	भुगतान किस कार्य पेटे किया गया है इसका कोई विवरण रोकड़ बही एवं बिल में अंकित नहीं किया गया है राशि गबन करने के उद्देश्य से आहरित की गई प्रतीत होती है।
35	82/08. 09.15	बीकानेर स्वीट हाउस, चाय-नाश्ता ग्रामसभा में	15500	नगद	33	15500	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
36	90/16. 09.15	साफ सफाई कार्य हेतु	10000	नगद	35	8000	यदि कार्य पेटे 10 मजदूरों को नियमानुसार 200/- रुपये प्रतिदिन के अनुसार 2000/- रुपये तक पारित योग्य है।
37	अंकित नहीं/21. 09.15	फूल इन्डस्ट्रीज श्रीगंगानगर	45000	चैक नम्बर 30915	35	45000	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/ वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।
38	98/08. 10.2015	प्रवीण कुमार/ कृष्ण लाल को डोंगल रिचार्ज हेतु भुगतान	13140	चैक नम्बर 511751	38	13140	डोंगल रिचार्ज हेतु इतना बड़ा भुगतान तर्कसंगत नहीं है।
39	103/ 06.11. 2015	विनोद कुमार को जेजेवाई में साफ सफाई कार्य हेतु	10000	चैक नम्बर 511761	38	10000	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/ वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है एवं भुगतान प्राप्तकर्ता का बिल वाउचर नहीं है।
40	104/ 06.11. 2015	विनोद कुमार/ हजारीराम डिग्गी की साफ सफाई	15800	चैक नम्बर 511767	38	15800	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/ वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।
41	105/ 06.11. 2015	विनोद कुमार/ हरीराम विधायक महोदय के जनसुनवाई कार्यक्रम में चायनाश्ता	12000	चैक नम्बर 511771	38	12000	नियमानुसार यह भुगतान देय नहीं है।
42	106/ 06.11. 2015	सहायक	75032	चैक नम्बर 511764	38	75032	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया तथा रोकड़ बही में भुगतान प्राप्तकर्ता का नाम एवं किस कार्य के लिए भुगतान लिया गया है अंकित नहीं है। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
43	112/07. 11.15	विनोद कुमार को मोटर बाईडिंग का भुगतान	35000	नगद	39	35000	मोटर वाईडिंग हेतु पीएचईडी के तकनीकी अधिकारी द्वारा रिपेयरिंग हेतु मोटर पर व्यय राशि कार्य से पूर्व अनुमति एवं कार्य के पश्चात् भुगतान प्रमाणित होनी आवश्यक है।
44	124/01. 01.16	मस्ट्रोल नं. 1729 में 300 का अधिक	21580	नगद	43	300	मस्ट्रोल नं. 1729 में 21280 का भुगतान किया गया है

		भुगतान दिखाया गया है					जबकि रोकड़ बही में 21580 दिखाकर 300 रूपये का गबन किया गया है।
45	132/04. 01.16	आरसीसी पाईपलाईन	36348	नगद	43	36348	मस्ट्रोल नं. 2722 का भुगतान पूर्व में वाउचर संख्या 21/30.04.15 में दिखाया गया है। पुनः रोकड़ बही में भुगतान दिखाकर गबन किया गया है।
46	133/04. 01.16	आरसीसी पाईपलाईन	21580	नगद	43	21580	मस्ट्रोल नं. 2723 का भुगतान पूर्व में वाउचर संख्या 22/30.04.15 में दिखाया गया है। पुनः रोकड़ बही में भुगतान दिखाकर गबन किया गया है।
47	134+135 /04.01. 16	चारदिवारी निर्माण दक्षिण दिशा 59 आरबी मस्ट्रोल नं. 1775 व 1776 का भुगतान	55476	नगद	43	31356	मस्ट्रोल नं. 1775 का भुगतान पूर्व में वाउचर संख्या 48/04.06.15 में दिखाया गया है। पुनः रोकड़ बही में भुगतान दिखाकर गबन किया गया है।
48	136/04. 01.16	इन्टरलॉकिंग पुलिया के दोनो तरफ मस्ट्रोल नं. 1777 का भुगतान	10755	नगद	43	10755	मस्ट्रोल नं. 1777 का भुगतान पूर्व में वाउचर संख्या 43/25.05.15 में दिखाया गया है। पुनः रोकड़ बही में भुगतान दिखाकर गबन किया गया है।
49	137+138 /04.01. 16	मिट्टी भर्ती राजकीय विद्यालय 59 आरबी मस्ट्रोल नं. 1772, 1773 का भुगतान	59292	नगद	43	36052	मस्ट्रोल नं. 1772 राशि 21580/- का भुगतान पूर्व में वाउचर संख्या 45/04.06.15 में दिखाया गया है। पुनः रोकड़बही में दिखाकर गबन किया गया एवं मस्ट्रोल संख्या 1772 व 1773 का 14472/- अधिक योग लगाकर कुल राशि 36052/- का भुगतान दिखाकर गबन किया गया है।
50	139+140 /04.01. 16	मिट्टी भर्ती उपस्वास्थ्य केन्द्र मस्ट्रोल नं. 1774, 1939 का भुगतान	34020	नगद	43	18900	मस्ट्रोल नं. 1774 राशि 18900/- का भुगतान पूर्व में वाउचर संख्या 46/04.06.15 में दिखाया गया है। पुनः रोकड़बही में दिखाकर गबन किया गया।
51	142/ 04.01. 2016	मनदीप को पानी टैंकर चारदिवारी स्टेडियम	12000	नगद	44	12000	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।
52	143/ 04.01. 2016	रामप्रकाश/ हरीप्रकाश ट्रेक्टर द्राली भुगतान शिवजी डेरा	10000	नगद	44	10000	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।
53	144/ 04.01. 2016	मोहन लाल/ हरीराम मिट्टी भर्ती पंचायत घर	9500	नगद	44	9500	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।
54	145/ 04.01. 2016	महेश कुमार/ रामलाल मिट्टी भर्ती इन्टरलॉकिंग विष्णु मन्दिर	3000	नगद	44	3000	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।
55	146/ 04.01. 2016	मनदीप / भीयाराम मिक्सर,वाइवरेटर विष्णु मन्दिर	10000	नगद	44	10000	कार्य की प्रशासनिक/ तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।

56	02/11. 01.16	महालक्ष्मी एन्टरप्राइजेज (खंडजा सड़क निर्माण 54 आरबी से 54 आरबी ढाणी तक	160000	चैक सं0 511794	02	160000	पंचायत समिति द्वारा कार्य की वित्तीय स्वीकृति दिनांक 18. 12.15 को जारी की गई जबकि ग्राम पंचायत द्वारा फर्म से सामग्री का क्रय स्वीकृति से पूर्व जरिये बिल सं0 80 दि. 03.12.15 में प्राप्त कर 11000 ईट को कटिंग कर 50000 ईट कर भुगतान किया गया जो गबन की श्रेणी में आता है।
57	09/25. 01.16	गुरुनानक टाईल्स एन्टरप्राइजेज	2000	नगद	05	2000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
58	10/27. 01.16	तावणिया मिठाई को भुगतान	5600	नगद	06	5600	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
59	13/08. 02.16	लक्ष्मण पेन्टर को भुगतान (पुलिया निर्माण)	1000	नगद	07	1000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
60	14/08. 02.16	लक्ष्मण पेन्टर को भुगतान (सड़क निर्माण... शिवाजी के डेरे तक)	1000	नगद	07	1000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
61	15/15. 02.16	महालक्ष्मी इन्टरप्राइजेज	1900	नगद	08	1900	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
62	16/15. 02.16	लक्ष्मण पेन्टर को भुगतान सड़क निर्माण...क्ष्मीनारायण के घर	1000	नगद	08	1000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
63	05/15. 01.16 व 18/24. 02.16	इन्टरलॉकिंग सड़क निर्माण सुभाष थालौड़ के घर से लक्ष्मीनारायण के घर तक 55 आरबी	47412	नगद	04 व 09	23706	मस्ट्रोल नं. 6075 का रोकड़ बही में अलग अलग दिनांक को दो बार इन्द्राज कर राशि का गबन किया गया।
64	21/29. 02.16	गुरुनानक टाईल्स एन्टरप्राइजेज	7500	नगद	10	7500	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
65	22/29. 02.16	शिव शटरिंग स्टोर को भुगतान (इन्टरलॉकिंग सड़क)	2500	नगद	10	2500	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
66	7/11. 04.16	कार्य शमशान भूमि की चारदिवारी 59 आरबी	39522	नगद	19	27230	मस्ट्रोल नं. 8866 के क्रम संख्या 3,6 व 9 पर अंकित श्रमिकों को भुगतान किया गया है। शेष को नहीं किया गया है (मस्ट्रोल पर भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है)
67	11/18. 04.16	लक्ष्मण पेन्टर को भुगतान (सड़क निर्माण पाल	1000	नगद	22	1000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान

		सिंह के घर तक)					गबन की श्रेणी में आता है।
68	12/18. 04.16	शिव शटरिंग स्टोर को भुगतान (शमशान भूमि की चार दिवारी 59 आरबी)	2400	नगद	22	2400	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
69	13/18. 04.16	लक्ष्मण पेन्टर को भुगतान (शमशान भूमि की चार दिवारी 59 आरबी)	1000	नगद	22	1000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
70	15/26. 04.16	गुरनानक टाईल्स इन्टरप्राइजेज (शमशान भूमि की चार दिवारी 59 आरबी)	6000	नगद	23	6000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
71	23/17. 05.16	नन्दूराम पुत्र श्री मंगला राम	2000	नगद	27	2000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
72	24/23. 05.16	चाय-नाश्ता व जलपान भुगतान	2350	नगद	28	2350	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
73	30/04. 07.16	नन्दूराम पुत्र श्री मंगलाराम	1000	नगद	33	1000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
74	34/22. 08.16	सीसी सड़क निर्माण मुख्य पुलिया से लेकर राजेन्द्र टाक के घर की ओर 59 आरबी	39377	नगद	37	39377	मस्ट्रोल नं. 325 पूरा खाली है भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। सरपंच द्वारा प्रमाणित है।
75	34/22. 08.16	सीसी सड़क निर्माण मुख्य पुलिया से लेकर राजेन्द्र टाक के घर की ओर 59 आरबी	39377	नगद	37	39377	मस्ट्रोल नं. 326 पूरा खाली है भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। सरपंच द्वारा प्रमाणित है।
76	38/14. 09.16	सीसी सड़क निर्माण मुख्य पुलिया से लेकर राजेन्द्र टाक के घर की ओर 59 आरबी	3029	नगद	39	3029	मस्ट्रोल नं. 327 पूरा खाली है भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। सरपंच द्वारा प्रमाणित है।
77	39/14. 09.16	गुरनानक टाईल्स एन्टरप्राइजेज	7500	नगद	39	7500	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
78	42/15. 09.16	सोशल ऑडिट में चाय पानी व नाश्ता पर व्यय	2000	नगद	40	2000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
79	43/26. 09.16	मिक्सचर किराया व औजार किराया	10411	नगद	41	10411	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
80	63/05. 12.16	चाय पानी व नाश्ता पर व्यय	4060	नगद	48	4060	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
81	87/16.	गंगूवाला के	25000	चैक सं.	65	25000	कैशबुक के मुताबिक फर्म

	02.17	स्टेडियम में गेट पर व्यय		011486			विश्व ट्रेडिंग कम्पनी को भुगतान किया गया है जबकि वाउचर खाली पाया गया। फर्म का बिल नहीं पाया गया है।
82	104/10. 03.17	चाय पानी व नाश्ता पर व्यय	15000	नगद	69	15000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल वाउचर पत्रावली में नहीं पाया गया। जिससे भुगतान गबन की श्रेणी में आता है।
83	116/31. 03.17	श्रमिकों को भुगतान	24826	नगद	75	24826	मस्ट्रोल नं. 1597 रिकार्ड में नहीं पाया गया।
84	19/27. 07.17	अटल सेवा केन्द्र में फर्नीचर खरीद	74000	नगद	12	74000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल/रसीद/पत्रावली नहीं पाई गयी। इतना बड़ा भुगतान नगद सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों के अनुसार वर्जित है।
85	42/16. 08.17	15अगस्त को विद्यालय में बूंदी वितरण	20000	नगद	25	20000	15 अगस्त को स्कूल में बूंदी वितरण आदि हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर इतना व्यय नियमानुकूल नहीं है।
86	44/16. 08.17	कार्य शमशान भूमि की चारदिवारी 55 आरबी	38649	नगद	25	19435	मस्ट्रोल नं. 13918 के क्रम संख्या 1,2,8 व 10 पर अंकित श्रमिकों को भुगतान किया गया है। शेष को नहीं किया गया है। (मस्ट्रोल पर भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है।)
87	48/17. 08.17	राजीव कुमार को मिट्टी भर्ती सीसी रोड़ 56 आरबी	10500	नगद	26	10500	कार्य की प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।
88	अंकित नहीं/18. 09.17	सीसी सड़क निर्माण मुख्य सड़क से लेकर चौक तक 56आरबी	48555	नगद	27	48555	मस्ट्रोल नं. 4760 विकास अधिकारी पंचायत समिति के अनुसार दिनांक 19.12.16 व पुनः दिनांक 28.03.17 को इनलैट चैनल निर्माण 65 एनपी (ग्रा.प. श्यामगढ़) को जारी किया गया है जिसमें कटिंग कर दिनांक 01.09.2017 को गंगूवाला ग्रा.प. में सी सी सड़क निर्माण मुख्य सड़क से चौक तक में दिखाकर जारी होने से पूर्व दिनांक में भुगतान दिखाया गया है जो गबन की श्रेणी में आता है।
89	अंकित नहीं/ 04.01. 2018	अंकित नहीं है	20000	नगद	30	20000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल/रसीद/पत्रावली नहीं पाई गयी। एवं न ही भुगतान किस कार्य हेतु किस फर्म/पार्टी को किया गया है का वर्णन रोकड़ बही में नहीं किया गया है।
90	अंकित नहीं/ 30.05. 2018	बालाजी फोटो स्टेट पूर्व का भुगतान	15600	नगद	38	15600	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल/रसीद/पत्रावली नहीं पाई गयी।

91	अंकित नहीं / 30.05.2018	पंचायत परिसर में साफ सफाई	7200	नगद	38	7200	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल/रसीद/पत्रावली नहीं पाई गयी।
92	अंकित नहीं / 30.05.2018	राजस्थान पत्रिका विज्ञापन भुगतान	28000	नगद	38	28000	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल/रसीद/पत्रावली नहीं पाई गयी।
93	अंकित नहीं / 30.05.2018	एस.आर. एडवर्टाईजमेंट भुगतान	7200	नगद	38	7200	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल/रसीद/पत्रावली नहीं पाई गयी।
94	अंकित नहीं / 30.05.2018	बालाजी फोटो स्टेट राष्ट्रीय पर्व पुरस्कार वितरण	9500	नगद	38	9500	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल/रसीद/पत्रावली नहीं पाई गयी।
95	अंकित नहीं / 30.05.18	इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण राजकीय विधालय से लीलाधर के घर की ओर 55 आरबी	31252	नगद	38	31252	मस्ट्रोल नं. 25638 पूरा खाली है भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। सरपंच द्वारा प्रमाणित है।
96	अंकित नहीं / 30.05.18	इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण राजकीय विधालय से लीलाधर के घर की ओर 55 आरबी	31252	नगद	38	31252	मस्ट्रोल नं. 25639 पूरा खाली है भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। सरपंच द्वारा प्रमाणित है।
97	अंकित नहीं / 30.05.18	इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण राजकीय विधालय से लीलाधर के घर की ओर 55 आरबी	9828	नगद	38	9828	मस्ट्रोल नं. 25640 पूरा खाली है भुगतान प्राप्तकर्ताओं के हस्ताक्षर अंकित नहीं है। सरपंच द्वारा प्रमाणित है।
98	अंकित नहीं / 30.05.2018	मिट्टी भर्ती कार्य 56आरबी	26236	नगद	38	26236	भुगतान प्राप्तकर्ता का कोई बिल/रसीद/पत्रावली नहीं पाई गयी। कार्य की प्रशासनिक/तकनीकी/वित्तीय स्वीकृति के अभाव में भुगतान देय नहीं है।
योग						1856103	

2. जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1 (ब) के अनुसार स्थानीय निधि विधायक योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्य पाईपलाईन निर्माण चक 54 आरबी में व्यय राशि का रोकड़ बही अनुसार श्रम पेटे- 157508 रुपये, सामग्री पेटे- 837000 रुपये कुल- 994508 रुपये का भुगतान दर्शाया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र सं	वाउचर नं. दिनांक	मद/कार्य/फर्म का नाम	भुगतान राशि	नगद/चैक	रोकड़ बही पृ0सं0	श्रम/सामग्री	वि0वि0
1.	48/21.10.16	भगवती प्लास्टिक स्टोर	600000	चैक नं. 204210	44	सामग्री	बिल राशि 599980/- रुपये है जबकि भुगतान 600000/- रुपये का किया है।
2.	52/30.11.16	मस्ट्रोल नं. 3697 श्रमिकों का भुगतान	39377	नगद	46	श्रम	
3.	53/30.11.16	मस्ट्रोल नं. 3698 श्रमिकों का भुगतान	39377	नगद	46	श्रम	
4.	54/30.11.16	मस्ट्रोल नं. 3699 श्रमिकों का भुगतान	39377	नगद	46	श्रम	मस्टर रोल में क्रम संख्या 09 पर अंकित श्रमिक द्वारा

							07 दिवस ही कार्य किया गया है जबकि भुगतान 13दिवस का किया गया है। अतः 197x6= 1182/- का नगद राशि के रूप में गबन किया गया है।
5.	55/30.11.16	मस्ट्रोल नं. 3700 श्रमिकों का भुगतान	39377	नगद	46	श्रम	
6.	115/29.03.17	बालाजी इन्टर प्राईजेज श्रीगंगानगर	225000	चैक नम्बर 013100	74	सामग्री	
7.	16/19.05.17	गणेश आयरन स्टोर	10000	चैक नम्बर 013495	8	सामग्री	
8.	39/11.08.2017	इन्जिनियर कॉलेज बीकानेर लेब टैस्ट	2000	चैक नम्बर 018993	24	सामग्री	
			994508				

(1). उक्त कार्य के सम्बन्ध में पूर्व में जाँच के चलते जिला परिषद के पत्रांक 3551-57 दिनांक 01.08.2017 की अनुपालना में गठित कमेटी के चारों सदस्यों एवं सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत की मौजूदगी में पाईप लाईन के सैंपल प्राप्त कर सम्बन्धित सैंपल सेंद्रल इन्सटीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एस.पी. 1298 सीतापुरा इन्डस्ट्री एरिया फेज तृतीय टॉक रोड जयपुर-302022 को दिनांक 21.08.2017 को भिजवाये गये (प.स.रायसिंहनगर के पत्रांक 3653 दिनांक 22.08.2017) सम्बन्धित लैब से उनके पत्र क्रमांक-सीपेट/जयपुर/2017-18/2757 दिनांक 01.09.2017 के द्वारा टेस्टिंग रिपोर्ट भिजवायी गयी इस भेजी गयी रिपोर्ट के आधार पर **Required Specification & Test Value** में अन्तर आने के कारण डाली गई पाईप निर्धारित मापदण्डानुसार नहीं पायी गयी है इसी के मध्यनजर जिला परिषद के पत्र क्रमांक 3841 दिनांक 26.09.2017 के द्वारा इस कार्य पर समस्त व्यय राशि को वसूली योग्य मानते हुए सम्बन्धित सरपंच/सचिव से राशि वसूल करने हेतु पत्र जारी किया गया। सरपंच सचिव द्वारा बार-बार लिखित पत्र/नोटिस के उपरान्त राशि जमा नहीं करवाने के कारण तत्कालीन विकास अधिकारी द्वारा पुलिस थाना मुकलावा में मुकदमा नं0 178/14.12.2017 धारा 409 एवं 420 में वर्तमान सरपंच श्री विनोद कुमार एवं तत्कालीन सचिव श्री महिपाल के विरुद्ध दर्ज करवाया गया जिसकी तफतीश जैरकार है।

(2). इस पाईपलाइन की जांच पूर्व में गठित जांच कमेटी द्वारा करवाई गई। पूर्व गठित जांच कमेटी द्वारा मौके पर पाई गयी 8755 फीट के बदले 7425 फीट लम्बाई में पाईप लाईन बिछी होना पाई गई। जिसके तहत 6780 फीट एचडीपीई नॉन आईएसआई मार्क और 645 फीट पाईप लाईन ऑल्ड एसी पाईप बिछाई गई। गठित जांचदल द्वारा मौके पर इस पाईप लाईन के सेम्पल भरकर नियमानुसार लेबोरेट्री में भिजवाये गये।

(3). सरपंच श्री विनोद कुमार द्वारा वसूली के सम्बन्ध में पंचायत समिति रायसिंहनगर के पत्रांक 9561 दिनांक 06.10.17 की अनुपालना में अपना स्पष्टीकरण दिनांक 23.10.17 को प्रस्तुत किया। उसके द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण पत्र में इन्जिनियर कॉलेज बीकानेर से पाईप लाईन के लिए लेब टेस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें बताया गया कि सरपंच द्वारा भेजी गई पाईप लाईन की लेब टेस्ट रिपोर्ट आईएस:4984:1995, 7328:1992 के अनुसार क्रय की गई पाईप की डेनसिटी 952.6 किग्रा/मीटर³ टेस्टिंग रिपोर्ट अंकित है। अवगत रहे कि सरपंच द्वारा पाईप लाईन के सेम्पल नियमानुसार नहीं भरे गये। सेम्पल भरने आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग एवं अधिकारियों को सूचित नहीं किया तथा सेम्पल भरने की कार्यवाही नियमानुसार सीलबन्द कर नहीं भिजवाई गयी। जबकि विभाग द्वारा गठित जांचदल के माध्यम से सेम्पल सीलबन्द कर लेबोरेट्री में भिजवाये गये। सरपंच द्वारा इस प्रकार की कार्यवाही नहीं की गई। इसलिए सरपंच द्वारा प्रस्तुत लेबटेस्ट रिपोर्ट इस पाईप लाईन से सम्बन्धित है या नहीं इसकी जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं होती। जबकि इस पाईपलाइन की जांच पूर्व में की

जा रही थी तो जांच के चलते सरपंच द्वारा पाईप लाईन के सैम्पल नियमानुसार विभाग को अवगत करवाते हुए भिजवाये जाने थे।

- जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2 (स) के अनुसार आरोपी सरपंच द्वारा निजी आहरण (अग्रिम राशि के रूप में) दिनांक 25.04.2016 से 10.10.2018 तक की अवधि में विभिन्न वाउचर्स के जरिरे कुल उदरत राशि 572784 रुपये का भुगतान प्राप्त किया जिसमें से समीक्षा अवधि में 407273 रुपये ही वापिस जमा करवाये गये। इस प्रकार श्री विनोद कुमार सरपंच से उदरत राशि 165511 रुपये वसूली योग्य है।
- जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 2(य) के अनुसार जांच कमेटी द्वारा श्री विनोद कुमार सरपंच को दिये गये मानदेय एवं वास्तविक देय मानदेय का विवरण जांच रिपोर्ट में दर्ज करते हुये विभिन्न तिथियों में माह 2/15 से 09/18 तक की अवधि में वास्तविक मानदेय से 255000 - 159500 = 95500 रुपये का अधिक भुगतान किया गया है।
- जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार ग्राम पंचायत गंगूवाला की जांच के दौरान जांचदल द्वारा केशबुक एवं अन्य सम्बन्धित दस्तावेजों का अवलोकन कर वार्षिक गोश्वारा तैयार करते हुये निम्न तथ्य वर्णित करते हुये अनियमित भुगतान किया जाना माना गया। :-

क्र.सं.	वर्ष	दिनांक	राशि
1.	2015-16	31 / 25.08.15	80000
2.	2015-16	35 / 21.09.15	10000
3.	2015-16	38 / 06.11.15	2263
4.	2015-16	43 / 04.01.16	3010
5.	2015-16	44,02 / 04.01.16 / 11.01.16	152500
6.	2016-17	23 / 26.04.16	10
7.	2016-17	27 / 17.05.16	40
8.	2016-17	44 / 21.10.16	20
9.	2016-17	46 / 30.11.16	1182
10.	2016-17	75 / 31.03.17	28004
		योग	277029

- जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 4 के अनुसार ग्राम पंचायत में निरीक्षण अवधि दिनांक 01.01.2015 से 01.11.2018 तक के दौरान सम्बन्धित ग्राम सेवक से कार्यकाल में केशबुक की स्थिति के अनुसार जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजियन शुल्क जमा नहीं होना पाया गया, ग्राम पंचायत के पहचान पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजियन का विवरण के आधार पर नियमानुसार सम्बन्धित से 5340/- राशि वसूली योग्य है। पंजियन हेतु जन्म-मृत्यु एवं विवाह पंजियन से सम्बन्धित रजिस्टर ग्राम पंचायत कार्यालय में संधारित नहीं पाया गया।
- जांच रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार जांच के दौरान ग्राम पंचायत गंगूवाला में केवल मात्र 1 कार्य का भौतिक सत्यापन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं किये गये भौतिक सत्यापन के नाप तौल के आधार पर कार्य की तथ्यात्मक रिपोर्ट सारणी में निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	कार्य का नाम	योजना	टी.एस. नं०	एफ.एस. नं०	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	मुल्यांकन राशि	वसूली राशि
1	इन्टरलॉकिंग सड़क निर्माण तारा चन्द के घर से लेकर चौक की ओर 55 आरबी	एस.एफ.सी. (पीएस) 2018-19	14380 / 18.07.18	14397 / 23.08.18	श्रम- 95200 सामग्री- 654800 कुल- 750000	श्रम- 00 सामग्री- 690000 कुल- 690000	श्रम- 40860 सामग्री- 417137 कुल- 457997	श्रम- 00 सामग्री- 272863 कुल- 272863

- इस कार्य पेटे पंचायत समिति रायसिंहनगर द्वारा मस्टर रोल नम्बर 26923 से 26925 तक कुल 03 मस्टर रोल दिनांक 26.07.2018 को जारी किये गये, तीनों मस्टर रोलों पर सम्बन्धित विकास अधिकारी के हस्ताक्षर पदनाम की मोहर पर अंकित नहीं है। ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत कार्य पत्रावली में तीनों मस्टर रोल खाली पाये गये जिनमें श्रमिकों के नाम एवं हाजरी, भुगतान राशि

और श्रमिकों के हस्ताक्षर वाउचर नम्बर आदि का अंकन नहीं किया गया, ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तुत रोकड़बही में श्रम पेटे व्यय होना नहीं पाया गया। इसलिए इस कार्य में श्रम पेटे व्यय शुन्य माना जायेगा। इस कार्य में सामग्री पेटे रोकड़ बही के पेज नम्बर 01 दिनांक 24.09.2018 को बैंक संख्या 22849 के द्वारा 690000/-रुपये व्यय होना अंकित है इस भुगतान का बैंक से मिलान किया गया। बैंक पास बुक के अनुसार दिनांक 25.09.2018 को भुगतान की पुष्टि होती है।

2. वर्ष 2018-19 के रोकड़बही एवं कार्यालय रिकार्ड के मुताबिक दिनांक 24.09.18 व 09.10.18 को बैंक से 155500/-रुपये सरपंच, सचिव द्वारा नकद आहरित किये गये। एवं दिनांक 24.09.18 को राशि 801474/- के लिए सम्बन्धित फर्म एवं व्यक्तियों को 5 बैंक जारी किये गये हैं। अर्थात् कुल 956974/- रुपये राशि व्यय की गई है। इस राशि में 690000/- रुपये उक्त कार्य पेटे महादेव टाईल्स रायसिंहनगर को बैंक के माध्यम से दिनांक 24.09.18 को भुगतान किया गया है। उक्त भुगतान सरपंच श्री विनोद कुमार एवं ग्राम सेवक श्री प्रवीण कुमार द्वारा किया गया है। क0स0 श्री प्रवीण कुमार को ग्राम पंचायत गंगूवाला में ग्राम विकास अधिकारी के पद का अतिरिक्त कार्यभार दिनांक 18.09.18 को दिया गया। जबकि श्री जगदीश भरूटा पहले से ही ग्राम विकास अधिकारी के पद पर ग्राम पंचायत गंगूवाला में पदस्थापित थे। अवगत रहे कि ग्राम विकास अधिकारी दिनांक 12.09.18 से 06.10.18 तक हड़ताल पर रहे। पंचायत समिति के फिल्ड में पदस्थापित क0स0 दिनांक 20.09.18 से 06.10.18 तक हड़ताल पर रहे। पंचायत समिति रायसिंहनगर के मंत्रालिक कर्मचारी दिनांक 25.09.18 से 06.10.18 तक एवं पंचायत समिति रायसिंहनगर में कार्यरत विकास अधिकारी 12.09.18 से 06.10.18 तक हड़ताल अवधि में थे।

इस प्रकार ग्राम पंचायत गंगूवाला में जांचदल द्वारा ग्राम पंचायत के रिकार्ड, दस्तावेजों आदि की जांच की गई एवं कई कार्यों का भौतिक सत्यापन किया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार सरपंच, सचिव एवं सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। जिसके चलते अनियमितता, लापरवाही, वसूली एवं गबन आदि के सम्बन्ध में जांच रिपोर्ट तैयार की गई एवं निम्नानुसार बिन्दुवार जांच निष्कर्ष अंकित किया गया :-

दिनांक					वि0वि0
1.	1 अ	बिल/वाउचर/भुगतान पुष्टि नहीं होने के कारण वसूली/गबन की राशि	1(1-98)	01.04.15 से 30.05.18	गबन के रूप में सम्बन्धित सरपंच, सचिव संयुक्त रूप से उत्तरदायी
2.	1 ब	कार्य - 110 एमएम एचडीपीई पाईप लाईन बिछाने का कार्य 56 आरबी से 54 आरबी तक। एमएलएलैड 2016-17	1 (1)	21.10.16 से 11.08.17 तक	इस वसूली राशि के लिए पुलिस थाना मुकलावा में एफआईआर नम्बर 178/2017 धारा 409, 420 में सम्बन्धित सरपंच श्री विनोद कुमार एवं सचिव श्री महिपाल के विरुद्ध मुकदमा दर्ज है। तपतीश जैरकार है।
3.	2 स	सरपंच श्री विनोद कुमार द्वारा उदरत लेन-देन सम्बन्धि वसूली राशि	6 (1-11) 7 (1-3)	25.04.16 से 10.10.18 एवं 30.04.15 से 30.03.16 तक	सरपंच श्री विनोद कुमार गबन के रूप में नियमानुसार उत्तरदायी होगा।
4.	2 य	सरपंच श्री विनोद कुमार से अधिशेष मानदेय	8 (1-10)	02/2015 से	सरपंच श्री विनोद कुमार गबन के

		वसूली		09/2018 तक	रुप में नियमानुसार उत्तरदायी होगा।
5.	3	वर्ष 2015-16 से वर्ष 2018-19 के तैयार गोश्वारा के अनुसार रोकड़ बुक में गबन के रुप में वसूली राशि।	9 से 15	25.08.15 से 31.03.17 तक	सरपंच श्री विनोद कुमार एवं सचिव श्री प्रवीण कुमार गबन के रुप में नियमानुसार उत्तरदायी होगा।(केशबुक का गबन)
6.	4	जन्ममृत्यु एवं विवाह पंजीयन शुल्क वसूली	16 (1)	01.01.15 से 01.11.18 तक	सम्बन्धित ग्रामसेवक वसूली के लिए नियमानुसार उत्तरदायी होगा।
7.	5	कार्यों के भौतिक सत्यापन पश्चात् मूल्यांकन पेटे वसूली राशि	17 (1)	24.09.18	सम्बन्धित सरपंच श्री विनोद कुमार एवं सचिव श्री प्रवीण कुमार संयुक्त रुप से गबन की राशि के रुप में वसूली के लिए उत्तरदायी होंगे।
				योग	3666854

इस प्रकार जांच दल द्वारा जांच प्रतिवेदन में ग्राम पंचायत गंगुवाला पंचायत समिति रायसिंहनगर में कुल वसूली/गबन राशि 3666854/-रुपये मानी गयी एवं इस अनियमित कार्यवाही के लिए श्री विनोद कुमार, सरपंच एवं श्री प्रवीण कुमार कनिष्ठ सहायक आदि सम्बन्धित को संयुक्त रुप से जिम्मेदार माना गया। जांच से सम्बन्धित सरपंच, सचिव व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने-अपने पदों का दुरुपयोग कर सरकारी धनराशि का दुरुपयोग करते हुए भारी अनियमितता व लापरवाही कर सरकारी धन का गबन किया जाना पाया गया।


अतः पंचायत समिति रायसिंहनगर के अधीन ग्राम पंचायत गंगुवाला में विभिन्न बिल/बाउचर, मस्टरोल आदि का रोकड़ बही में बिना बाउचर भुगतान दर्शाना, केशबुक में गबन करना सरपंच द्वारा अग्रिम राशि का उदरत रुप में भुगतान उठाकर, वास्तविक मानदेय से अधिक राशि उठाकर गबन करना तथा ग्राम पंचायत में करवाये गये विभिन्न निर्माण कार्यों में मस्टरोल अपूर्ण होते हुये भी अपने-अपने पदों का दुरुपयोग कर पंचायत कोष से भुगतान उठाकर राजकीय राशि 3666854/-रुपये का गबन किया जाना पाये जाने पर आरोपीगण क्रमशः 1. श्री विनोद कुमार, तत्कालीन सरपंच 2. श्री प्रवीण कुमार (कनिष्ठ सहायक) तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत गंगुवाला पंचायत समिति रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ अपराध अन्तर्गत धारा 13(1),(सी),(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, धारा 7 (सी), 13 (1), (ए) सपठित 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 एवं धारा 409, 420 एवं 120 बी भादंस. घटित होना पाया गया है। अतः उपरोक्तानुसार आरोपीगणों के विरुद्ध उपरोक्त अपराध में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

(विजेन्द्र कुमार सीला)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
श्रीगंगानगर-द्वितीय

कार्यवाही पुलिस


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री विजेन्द्र कुमार सीला, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 409, 420 एवं 120बी भादंस तथा धारा 7(सी), 13(1)(ए) सपठित 13(2) पीसी एक्ट (यथा संशोधित 2018) में अभियुक्तगण 1. श्री विनोद कुमार, तत्कालीन संरपच, ग्राम पंचायत गंगुवाला, पंचायत समिति रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर 2. श्री प्रवीण कुमार तत्कालीन (कनिष्ठ सहायक), तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति रायसिंहनगर, जिला श्रीगंगानगर एवं अन्य के विरुद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 387/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।


पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक:- 3369-75 दिनांक 27.9.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, श्रीगंगानगर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. श्रीमान् शासन सचिव एवं आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् श्रीगंगानगर।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बीकानेर।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, श्रीगंगानगर-द्वितीय।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक(परि.), भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर (परि.68/19)


पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।